642

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2023(2)

जगमोहन बंसल से पहले, जे.

रेखा शर्मा-याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब राष्ट्रीय बैंक और अन्य-उत्तरदाता

2017 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 28347

14 फरवरी, 2024

माना गया कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के पति का 2015 में निधन हो गया और उसके दावे को 26.10.2016 पर खारिज कर दिया गया। उन्होंने 17.11.2017 पर इस अदालत का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता की ओर से कोई चूक नहीं है। तब से कई कारणों से रिट याचिका इस न्यायालय के समक्ष लंबित है। यह कानून का तय प्रस्ताव है कि अदालत की ओर से चूक के कारण किसी को भी पीड़ित नहीं किया जा सकता है। यदि याचिकाकर्ता को समय के प्रवाह के कारण प्रभावी राहत से वंचित कर दिया जाता है, तो यह सच्चा न्याय नहीं होगा। यह एक स्थापित कानून है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि किया गया प्रतीत भी होना चाहिए। (पैरा 8) ने आगे कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे देश को एक समाजवादी राज्य घोषित करती है। अनुकंपा नियुक्ति और अनुग्रह भुगतान योजनाएं लाभकारी कानून का हिस्सा हैं और हमारे संविधान द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई हैं। (पैरा 12) ने आगे कहा कि अनुकंपा नियुक्ति या अनुग्रह राशि भुगतान का उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार को रेखा शर्मा बनाम पंजाब नेशनल बैंक ऑफ ऑथर्स से बचाना है।

643

( जगमोहन बंसल, जे.)

निर्धनता, गरीबी और भुखमरी। प्रत्यर्थी द्वारा बनाई गई नीति के उद्देश्य खंड में, यह विशेष रूप से देखा गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य को एक पद देना नहीं है, जो मृतक द्वारा धारण किए गए पद के लिए बहुत कम है, बल्कि एक मृत कर्मचारी के परिवार को राहत प्रदान करना है ताकि उसकी असामयिक मृत्यु से आए अचानक संकट से निपटा जा सके। परिकल्पित राहत पीड़ित परिवार को परिवार के एकमात्र कमाने वाले की आय के अप्रत्याशित अभाव से उबरने के लिए तत्काल सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। (पैरा 13) ने आगे कहा कि उपरोक्त चर्चाओं और निष्कर्षों के मद्देनजर, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि 26.10.2016 (अनुलग्नक पी-6) दिनांकित आदेश को दरकिनार किया जाना चाहिए और तदनुसार दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी-बैंक को अपनी नीति दिनांक 25.09.2014 (अनुलग्नक पी-2) के आलोक में याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया जाता है। (पैरा 16)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमित जैन अरविंद राजोतिया, प्रतिवादी-बैंक के अधिवक्ता

(1) याचिकाकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत तत्काल याचिका के माध्यम से दिनांकित 26.10.2016 (अनुलग्नक पी-6) के आदेश को रद्द करने की मांग कर रहा है, जिसमें प्रतिवादी-बैंक ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया है। (2) याचिकाकर्ता के पति जगदीश चंदर शर्मा प्रतिवादी-पंजाब नेशनल बैंक के साथ काम कर रहे थे और उनका निधन 25.12.2015 पर हुआ। उस समय वे 49 वर्ष के थे। उनके परिवार में तीन बच्चे हैं, पत्नी और बूढ़ी माँ। याचिकाकर्ता, प्रतिवादी-बैंक की अनुकंपा योजना दिनांक 25.09.2014 (अनुलग्नक पी-2) के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति का हकदार था। याचिकाकर्ता ने आवेदन दिनांक 23.08.2016 (अनुलग्नक पी-3) के माध्यम से प्रतिवादी-बैंक से अनुरोध किया कि वह उसे अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार करे। प्रतिवादी-बैंक ने दिनांक 26.10.2016 (अनुलग्नक पी-6) के विवादित आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया। उसका आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उसे जीवन बीमा निगम से Rs.45Lacs की राशि मिली है और उसे प्रति माह Rs.17,539/- की पारिवारिक पेंशन भी मिल रही है।

644

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2023(2)

(3) श्री अमित जैन, अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता को 4,236/- रुपये प्रति माह की पेंशन मिल रही है और प्रतिवादी-बैंक ने गलत तरीके से उसकी पेंशन को Rs.17,539/- माना है। प्रत्यर्थी-बैंक अपने पति की मृत्यु के कारण प्राप्त मुआवजे पर विचार नहीं कर सका क्योंकि तीसरी एजेंसियों से प्राप्त मुआवजा या नियोक्ता से प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ अनुकंपा नियुक्ति के दावे से स्वतंत्र हैं।

(4) अपने तर्क के समर्थन में, वह निर्णय पर निर्भर करता है

(6) मैंने दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों की दलीलें सुनी हैं और उनकी सक्षम सहायता से रिकॉर्ड का अध्ययन किया है। (7) वर्तमान याचिका के निर्णय के लिए, प्रतिवादी-बैंक की अनुकंपा नियुक्ति नीति दिनांक 25.09.2014 (अनुलग्नक पी-2) को देखना उचित होगा। पॉलिसी का पैराग्राफ 4 उन कर्मचारियों की पहचान करता है जिनका परिवार अनुकंपा नियुक्ति का हकदार है और पैराग्राफ 8 पात्रता मानदंड निर्धारित करता है। पैराग्राफ 20 सामान्य नियम और शर्तें निर्धारित करता है। उक्त नीति के पैराग्राफ 4,8 और 20 इस प्रकार हैंः

“ 4. संयोजनः

क) सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है (आत्महत्या से मृत्यु सहित) ख) 55 वर्ष की आयु तक पहुँचने से पहले अक्षमता के कारण चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हो जाता है। (सरकारी मेडिकल कॉलेज/सरकारी जिला प्रमुख में विधिवत नियुक्त मेडिकल बोर्ड द्वारा अक्षमता को प्रमाणित किया जाना है।

1 2015 (7) एस. सी. सी. 412

2 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. एंड एच. 3367 रेखा शर्मा बनाम पंजाब नेशनल बैंक ऑफ अदर

645

( जगमोहन बंसल, जे.)

i) अनुकंपा के आधार पर की गई नियुक्ति इस तरह से की जाएगी कि पद पर नियुक्त व्यक्तियों के पास प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की आवश्यकता के अनुरूप पद के लिए आवश्यक शैक्षिक और तकनीकी योग्यता और अनुभव हो। (ii) मृतक के परिवार के किसी सदस्य या चिकित्सकीय रूप से सेवानिवृत्त उप-कर्मचारी के रोजगार को केवल पूर्ववर्ती उप-कर्मचारी पद तक सीमित रखने का इरादा नहीं है। इस प्रकार, ऐसे पूर्व उप-कर्मचारी के परिवार के सदस्य को एक लिपिक पद पर नियुक्त किया जा सकता है जिसके लिए वह शैक्षिक रूप से योग्य है, बशर्ते कि इस उद्देश्य के लिए लिपिक पद में एक रिक्ति मौजूद हो। iii) तथापि, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि कर्मचारी के परिवार को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त हुए हैं। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अनुरोध पर विचार करते समय परिवार की वित्तीय स्थिति का एक संतुलित और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन उसकी परिसंपत्तियों और देनदारियों (ऊपर उल्लिखित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्राप्त लाभों सहित) और अन्य सभी प्रासंगिक कारकों जैसे कि एक कमाने वाले सदस्य की उपस्थिति, 646 के आकार को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2023(2)

v) पूर्ववर्ती उप-कर्मचारियों की मृत्यु या चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप अनुकंपा नियुक्ति के अनुरोधों पर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर शिथिल मानकों को लागू करके अधिक सहानुभूति के साथ विचार किया जा सकता है। vi) अनुकंपापूर्ण नियुक्ति को अधिशेष कर्मचारियों के अवशोषण और अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर प्राथमिकता दी जाएगी। ”

(8) प्रत्यर्थी-बैंक ने याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि वह गरीब नहीं है। प्रत्यर्थी-बैंक ने एल. आई. सी. से प्राप्त मुआवजे के साथ-साथ सेना पेंशन ₹17,539/- पर विचार किया है। आक्षेपित आदेश के प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैंः

“प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया था जिसमें यह देखा गया था कि परिवार की स्थिति गरीब नहीं है। मृतक कर्मचारी के परिवार में पत्नी, 23 और 20 वर्ष की आयु की 02 बेटियाँ, 18 वर्ष की आयु का 1 बेटा और 75 वर्ष की माता शामिल थीं। रुपये की सीमा तक अंतिम बकाया। एल. आई. सी. से प्राप्त अन्य राशि के अलावा 1.86 लाख रुपये का निपटान किया गया है। 45.56 लाख। उन्हें प्रति माह 17539/- की सेना पेंशन प्राप्त हो रही है। परिवार के पास रहने के लिए अपना घर है। ”

(9) वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के पति का 2015 में निधन हो गया और उसके दावे को 26.10.2016 पर खारिज कर दिया गया। उन्होंने 17.11.2017 पर इस अदालत का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता की ओर से कोई चूक नहीं है। तब से कई कारणों से रिट याचिका इस न्यायालय के समक्ष लंबित है। यह कानून का तय प्रस्ताव है कि अदालत की ओर से चूक के कारण किसी को भी पीड़ित नहीं किया जा सकता है। यदि याचिकाकर्ता को समय के प्रवाह के कारण प्रभावी राहत से वंचित कर दिया जाता है, तो यह सच्चा न्याय नहीं होगा। यह एक स्थापित कानून है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि किया गया प्रतीत भी होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने आत्मा राम मित्तल बनाम ईश्वर सिंह पुनिया 3 मामले में कहा है कि अदालत के कार्य के कारण किसी वादी को पीड़ित नहीं किया जा सकता है। निर्णय 3 1988 (4) एस. सी. सी. 284 रेखा शर्मा बनाम पंजाब नेशनल बैंक ऑफ ऑथर्स के प्रासंगिक उद्धरण।

647

( जगमोहन बंसल, जे.)

इस प्रकार पढ़िएः

“8. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अदालत की गलती या प्रक्रिया में देरी के कारण किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं उठाना चाहिए। ब्रूम ने कहा है कि "एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट"-अदालत का एक कार्य किसी भी व्यक्ति को प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए, निर्णय के लिए सामान्य रूप से खर्च किए जाने वाले समय को ध्यान में रखते हुए, किराया अधिनियम के आवेदन से दस साल की छूट या अवकाश भ्रामक हो जाएगा, अगर उस समय के भीतर मुकदमा दायर किया जाना है और अंत में निपटाया जाना है। यह सर्वविदित है कि जब तक इसे देने की तारीख के तुरंत बाद कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाता है, तब तक इसे दस साल के भीतर कभी भी निपटाया नहीं जाएगा और फिर भी उस समय के भीतर इसका निपटारा नहीं किया जा सकता है। यह किराया अधिनियम से दस साल की छुट्टी को भ्रामक बना देगा और मकान मालिकों को घरों की कमी की समस्या को हल करने के लिए नए घर बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं देगा। इस प्रकार कानून बनाने का उद्देश्य विफल हो जाएगा। एक सामाजिक सुधार कानून में उद्देश्यपूर्ण व्याख्या एक अनिवार्य है, चाहे कुछ भी हो। ”

(10) एम. महेश कुमार (सुप्रा) मामले में उच्चतम न्यायालय ने

स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता निर्धारित करते समय, कर्मचारी की मृत्यु के कारण प्राप्त अंतिम लाभों को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार किसी कर्मचारी की मृत्यु के कारण प्राप्त सेवानिवृत्ति या अंतिम लाभों से स्वतंत्र है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैंः

“19. जहाँ तक अपीलार्थी बैंक का यह तर्क है कि चूंकि प्रत्यर्थी के परिवार को पारिवारिक पेंशन मिल रही है और अंतिम लाभ भी प्राप्त हो रहे हैं, हमारे विचार में, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पर विचार करने का कोई मतलब नहीं है। 1993 की योजना के खंड 3.2 में कहा गया है कि यदि मृतक कर्मचारी का आश्रित नाबालिग है, तो बैंक नाबालिग के वयस्क होने तक नियुक्ति के प्रस्ताव को खुला रख सकता है। यह इंगित करेगा कि अंतिम लाभ देने का कोई परिणाम नहीं है क्योंकि भले ही अंतिम लाभ दिया जाता है, यदि आवेदक नाबालिग है, तो बैंक नाबालिग के बहुमत प्राप्त करने तक नियुक्ति को खुला रखेगा। 20. बलबीर कौर बनाम सेल [(2000) 6 एस. सी. सी. 493: 2000 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 767] ने आवेदन पर विचार करते हुए 648 बनाए।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2023(2)

भारतीय इस्पात प्राधिकरण को लागू अनुकंपा के आधार पर रोजगार के लिए विधवा द्वारा, यह तर्क उठाया गया था कि चूंकि वह मृतक कर्मचारी के परिवार को मासिक भुगतान का आश्वासन देने वाली पारिवारिक लाभ योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की हकदार है, इसलिए अनुकंपा नियुक्ति के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पैरा 13 में उस विवाद को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः (एस. सी. सी. पी. 503) “13. … लेकिन हमारे विचार में इस परिवार लाभ योजना को किसी भी तरह से अनुकंपा नियुक्तियों के लाभ के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। कमाने वाले की मृत्यु के कारण परिवार में अचानक आए झटके को परिवार को उपलब्ध कराई जा रही कुछ एकमुश्त राशि से ही अवशोषित किया जा सकता है-यह दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन यह एक वास्तविकता है। रोटी कमाने वाले की मृत्यु पर सुरक्षा की भावना शून्य हो जाती है और उसके बाद असुरक्षा हावी हो जाती है और यह उस समय होता है जब एक दयालु नियुक्ति के साथ कुछ एकमुश्त राशि उपलब्ध कराई जाती है, तो दुखी परिवार को मानसिक पीड़ा से कुछ सांत्वना मिल सकती है और सामान्य घटनाओं में अपने मामलों का प्रबंधन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मौद्रिक लाभ कमाने वाले का प्रतिस्थापन होगा, लेकिन यह निस्संदेह स्थिति में कुछ सांत्वना लाएगा। ” 21. सेल मामला [(2000) 6 एस. सी. सी. 493 का उल्लेख करते हुएः 2000 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 767], उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया है कि पारिवारिक पेंशन के अनुदान या अंतिम लाभों के भुगतान को रोजगार सहायता प्रदान करने के विकल्प के रूप में नहीं माना जा सकता है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यह बैंक का मामला नहीं है कि प्रतिवादियों के परिवार के पास अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उनके दावे को नकारने के लिए कोई अन्य आय है। ”

(11) केशव सिद्धू (सुप्रा) मामले में इस अदालत की एक समन्वित पीठ ने एम. महेश कुमार (सुप्रा) मामले में उच्चतम न्यायालय के पूर्व-उद्धृत फैसले पर भरोसा करते हुए कहा है कि पारिवारिक पेंशन की प्राप्ति अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैंः

“7. इसलिए, यह स्पष्ट है कि परिवार द्वारा किसी भी अंतिम लाभ की प्राप्ति अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करने का कोई आधार नहीं है। हालांकि, प्रतिवादियों ने अंतिम लाभ के रूप में प्राप्त राशि का संदर्भ देकर याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया है। इस बिंदु पर, यह अदालत याचिकाकर्ता के वकील की रेखा शर्मा बनाम पंजाब नेशनल बैंक ऑफ ऑथर्स पर निर्भरता पाती है।

649

( जगमोहन बंसल, जे.)

गोविंद प्रकाश वर्मा (ऊपर); केनरा बैंक और एक अन्य (ऊपर) और सुप्रिया सुरेश पाटिल @सॉव सुप्रिया प्रतीक कदम (ऊपर) में दिए गए निर्णयों को अच्छी तरह से रखा जाना चाहिए। उपरोक्त निर्णयों के अनुसार यहां तक कि पारिवारिक पेंशन को भी याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता था। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पारिवारिक पेंशन मृतक कर्मचारी के जीवनसाथी द्वारा उसके स्वतंत्र वैधानिक अधिकारों में अर्जित की जाती है, जिसका अनुकंपा नियुक्ति के पहलू से कोई लेना-देना नहीं है, यदि कोई हो, जैसा कि संपार्श्विक नियमों या उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए जारी निर्देशों के तहत प्रदान किया गया है। इसलिए, याचिकाकर्ता के मामले को प्रतिवादियों द्वारा गलत तरीके से खारिज कर दिया गया है। 8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका की अनुमति दी जाती है। विवादित आदेश दिनांक 21.06.2018 (अनुलग्नक पी-3) को अलग रखा गया है। उत्तरदाताओं को इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को समय देने का निर्देश दिया जाता है। ”

(12) पूर्व-उद्धृत निर्णयों को देखते हुए, प्रतिवादी-बैंक याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु के कारण एल. आई. सी. से प्राप्त मुआवजे की राशि और सेना से पारिवारिक पेंशन पर विचार नहीं कर सका। यह ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता को वास्तव में 4,326/- रुपये की पेंशन मिल रही है, जबकि प्रतिवादी-बैंक ने Rs.17,539/- पर विचार किया है। (13) संविधान की प्रस्तावना हमारे देश को एक समाजवादी राज्य घोषित करती है। अनुकंपा नियुक्ति और अनुग्रह भुगतान योजनाएं लाभकारी कानून का हिस्सा हैं और हमारे संविधान द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई हैं। (14) अनुकंपा नियुक्ति या अनुग्रह राशि भुगतान का उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार को निर्धनता, गरीबी और भुखमरी से बचाना है। प्रत्यर्थी द्वारा बनाई गई नीति के उद्देश्य खंड में, यह विशेष रूप से देखा गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य को एक पद देना नहीं है, जो मृतक द्वारा धारण किए गए पद के लिए बहुत कम है, बल्कि एक मृत कर्मचारी के परिवार को राहत प्रदान करना है ताकि उसकी असामयिक मृत्यु से आए अचानक संकट से निपटा जा सके। परिकल्पित राहत पीड़ित परिवार को परिवार के एकमात्र कमाने वाले की आय के अप्रत्याशित अभाव से उबरने के लिए तत्काल सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

650

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2023(2)

(15) उमेश कुमार नागपाल बनाम राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय

हरियाणा 4 ने माना है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एक रियायत है और विशेष रूप से पर्याप्त समय बीतने के बाद अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैंः - “2. सवाल उन विचारों से संबंधित है जो अनुकंपा के आधार पर सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति देते समय मार्गदर्शन करना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मुद्दे पर काफी उलझन है। एक नियम के रूप में, लोक सेवाओं में नियुक्तियां सख्ती से आवेदनों और योग्यता के खुले निमंत्रण के आधार पर की जानी चाहिए। नियुक्ति का कोई अन्य तरीका या कोई अन्य विचार स्वीकार्य नहीं है। न तो सरकार और न ही सार्वजनिक प्राधिकरण किसी अन्य प्रक्रिया का पालन करने या पद के लिए नियमों द्वारा निर्धारित योग्यताओं में ढील देने के लिए स्वतंत्र हैं। हालाँकि, इस सामान्य नियम का, जिसका हर मामले में सख्ती से पालन किया जाना है, न्याय के हित में और कुछ आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए कुछ अपवाद बनाए गए हैं। ऐसा ही एक अपवाद एक कर्मचारी के आश्रितों के पक्ष में है जो नौकरी में मर जाता है और अपने परिवार को गरीबी में और आजीविका के किसी भी साधन के बिना छोड़ देता है। ऐसे मामलों में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जब तक आजीविका का कोई स्रोत प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक परिवार दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा, नियमों में एक प्रावधान किया गया है ताकि मृतक के आश्रितों में से एक को लाभकारी रोजगार प्रदान किया जा सके जो इस तरह के रोजगार के लिए पात्र हो सकता है। इस प्रकार अनुकंपापूर्ण रोजगार देने का पूरा उद्देश्य परिवार को अचानक आए संकट से उबरने में सक्षम बनाना है। उद्देश्य यह नहीं है कि ऐसे परिवार के किसी सदस्य को मृतक द्वारा धारण किए गए पद के लिए बहुत कम पद दिया जाए। इसके अलावा, केवल एक कर्मचारी की मृत्यु उसके परिवार को आजीविका के ऐसे स्रोत का हकदार नहीं बनाती है। सरकार या संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण को मृतक के परिवार की वित्तीय स्थिति की जांच करनी होती है, और यह केवल तभी होता है जब यह संतुष्ट होता है, कि रोजगार के प्रावधान के अलावा, परिवार इस संकट को पूरा नहीं कर पाएगा कि परिवार के योग्य सदस्य को नौकरी की पेशकश की जानी है। कक्षा III और IV में पद गैर-मैनुअल और मैनुअल में सबसे कम पद हैं।

4 1994 (4) एस. सी. सी. 138 रेखा शर्मा बनाम पंजाब नेशनल बैंक ऑफ ऑथर्स

651

( जगमोहन बंसल, जे.)

श्रेणियाँ और इसलिए केवल उन्हें ही अनुकंपा के आधार पर पेश किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य परिवार को वित्तीय अभाव से राहत देना और आपातकाल से उबरने में मदद करना है। नियम को अपवाद बनाकर ऐसे सबसे निचले पदों पर रोजगार का प्रावधान उचित और वैध है क्योंकि यह भेदभावपूर्ण नहीं है। ऐसे पदों पर मृत कर्मचारी के ऐसे आश्रित के साथ दिए गए अनुकूल व्यवहार का उस उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध है जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है। , निर्धनता के खिलाफ राहत। इस उद्देश्य के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा कोई अन्य पद दिए जाने की अपेक्षा या आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में यह याद रखना चाहिए कि मृतक के बेसहारा परिवार के विपरीत लाखों अन्य परिवार हैं जो समान रूप से, यदि अधिक बेसहारा नहीं हैं। मृतक कर्मचारी के परिवार के पक्ष में बनाए गए नियम का अपवाद उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं और वैध अपेक्षाओं और पूर्ववर्ती रोजगार से उत्पन्न परिवार की स्थिति और मामलों में परिवर्तन पर विचार करना है, जो अचानक बदल जाते हैं। ”

(18) यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी ईमानदारी और ईमानदारी से कार्य करेगा और किसी न किसी आधार पर पर्याप्त लाभ से इनकार करने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा। आज से 3 महीने के भीतर आवश्यक कार्य पूरा कर लिया जाएगा। रिपोर्टर-सुब्रत कौर